रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 1977/ज्येष्ठ 5, 1899

No. 172] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 1977/JYAISTHA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May 1977

G.S.R. 255(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (First Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the 1st day of June, 1977.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 429, the following rule shall be substituted, namely:—

"429 *Transfer of telephone.* (1) A subscriber shall not assign, sublet or otherwise transfer the telephone.

(2) The Telegraph Authority may permit:—

(a) the transfer of a telephone in the personal name of:—

(i) a deceased subscriber, to his legal heir or successor;

(ii) a subscriber, to his father, mother, wife, husband, son or daughter, as the case may be;

(iii) a subscriber, on account of any change in the name of the subscriber for any reasons;

(b) the transfer of an official telephone in the name of an officer of the Government or of a local authority or of a corporation owned or controlled by the Government or of an institution owned or controlled by the Government, on account of any change in the authority hiring the telephone on behalf of such officer;

Explanation.—In this clause "corporation" owned or controlled by the Government" includes a society registered under any law relating to registration of societies, so owned or controlled, a corporation so owned or controlled and established by or under a Central, Provincial or State Act, and a Government Company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(c) the transfer of a telephone in the name of a firm or company or of an institution or organisation or association or any similar body, on account of any change in the name or constitution or both of the said firm, company, institution, organisation, association or similar body;

(d) the use of a telephone subscribed by the land lord of a building by the tenant living in the same building."

3. In rule 434 of the said rules, in Section I relating to fees, in item 3, for sub-item (a) including the proviso, the following shall be substituted, namely:—

"(a) Transfer fee for the transfer of a telephone connection—Rs 50."

[No. F. 2-41/75-PHA]

H. J. MIRCHANDANI,

Dated the 26th May, 1977.

Member (Telecom. Operations),
P. & T. Board

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1977

सा० का० नि० 255 (अ).—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1977 होगा ।

(ii) वे 1 जून, 1977 को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय तार नियम 1951 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) में नियम 429 के स्थान पर निम्नलिखित नियम पुनः संस्थित किया जाएगा, अर्थात् :—

"429 **टेलीफोन का अन्तरण** (1) कोई उपभोक्ता टेलीफोन को समनुदेशित न करेगा, न समपट्टे पर देगा या अन्यथा अन्तरित करेगा

(2) तार प्राधिकारी निम्नलिखित की अनुमति दे सकता है :—

(क) निम्नलिखित में से किसी के व्यक्तिगत नाम से टेलीफोन का अन्तरण—

(i) किसी मृत उपभोक्ता के नाम से उसके कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी के नाम में ;

(ii) किसी उपभोक्ता के नाम से उसके पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र या पुत्री, जैसी भी स्थिति हो, के नाम में ,

(iii) किसी कारण से उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसी उपभोक्ता के नाम में ;

(ख) अधिकारी की ओर से प्राधिकरण में किसी परिवर्तन के होने पर सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या निगम जिसका स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के हाथ में हो, या कोई संस्थान जिसका स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के हाथ में हो, के किसी अधिकारी के नाम में सरकारी टेलीफोन के अन्तरण के मामले में ;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड में उल्लिखित 'निगम, जिसका स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के हाथ में हो' में ऐसी समिति शामिल है जिसका पंजीकरण ऐसे स्वामित्व या नियंत्रण वाली समितियों के पंजीकरण संबंधी किसी कानून के अन्तर्गत किया गया हो, कोई निगम शामिल है, जिसका स्वामित्व या नियंत्रण इस प्रकार से हो और जिसकी स्थापना केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या अन्तर्गत की गयी हो और कोई सरकारी कम्पनी शामिल है, जिसकी परिभाषा कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में दी गयी है ;

(ग) किसी फर्म या कम्पनी या किसी संस्थान या संगठन या संघ या ऐसी ही अन्य संस्था संगठन के नाम में टेलीफोन का अन्तरण, जबकि उक्त फर्म, कम्पनी, संस्थान, संगठन, संघ या ऐसी अन्य संस्था के नाम या संविधान या दोनों में परिवर्तन हो जाने के कारण हो;

(घ) भवन के मालिक द्वारा अपने उपभोग के लिए लिए गए टेलीफोन का उसी भवन में रहने वाले किराएदार के इस्तेमाल के लिए ।"

3. उपर्युक्त नियमों के नियम 434 में शुल्क के संबंधित खण्ड 1 में मद 3 में उपमद (क), जिसमें परन्तुक भी शामिल है, के स्थान पर निम्नलिखित को पुनः संस्थित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) टेलीफोन कनेक्शन के अन्तरण के लिए अन्तरण शुल्क ..... 50 रुपये"

[सं० फा० 2-41/75-पी एच ए]

दिनांक 26 मई, 1977

एच० जे० मीरचन्दानी,
सदस्य (दूरसंचार प्रचालन)
डाक तार बोर्ड ।

महा प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित। 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977